

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
 EXTRAORDINARY
 भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
 PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 1973/आषाढ़ 14, 1895
 No. 163] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 1973/ASADHA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
 (Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 5th July 1973

G. S. R. 341(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. G.S.R. 306 (E), dated the 7th June, 1973, the Central Government hereby determines that for the purposes of Sections 14 and 15 of the said Act, the rates of exchange for conversion of each of the foreign currency specified in column 2 of the Schedule below into Indian currency or *Vice Versa* shall be the rate mentioned against it in column (3) thereof

THE SCHEDULE

S. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100/-
(1)	(2)	(3)
1.	Austrian Schillings	235
2.	Belgian Francs	485
3.	Canadian Dollars	13.58
4.	Danish Kroners	76.00

(1)	(2)	(3)
5.	Dutch Guilders	35.00
6.	Deutsche Marks	32.30
7.	French Francs	55.30
8.	Italian Lira	7810
9.	Japanese Yen	3560
10.	Norwegian Kroners	70.80
11.	Pound Sterling	5.2950
12.	Swedish Kroners	54.20
13.	Swiss Francs	38.90
14.	U.S.A. Dollar	13.59

[No. 103/F.No. 503/6/73-Cus-VI.]

P. K. KAPOOR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
राजस्व और बीमा विभाग
अधिसूचना
सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1973

सा० का० नि० 341(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 306(ई) तारीख 7 जून, 1973 को अधिकृत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अवधारित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए धिनियम की दरें ये होंगी जो उसके सामने उसके स्तम्भ (3) में वर्णित हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	विदेशी करेंसी	100 रु० के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनिमय दर
(1)	(2)	(3)
1.	आस्ट्रिया के शिलिंग	235
2.	बेल्जियम के फ्रैंक	485
3.	केनाडा के डालर	13.58

(1)	(2)	(3)
4.	डेनमार्क के क्रोनर	76.00
5.	डच गिल्डर	35.00
6.	जर्मन (डुत्शे) मार्क	32.30
7.	फ्रांस के फ्रैंक	55.30
8.	इतालवी लीरा	78.10
9.	जापानी येन	3560
10.	नार्वे के क्रोनर	70.80
11.	पोंड स्टर्लिंग	5.2950
12.	स्वीडन क्रोनर	54.20
13.	स्विटजरलैंड के फ्रैंक	38.90
14.	संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर	13.59

[सं० 103/फा० सं० 503/6/7 3-सीमाशुल्क]

पी० के० कपूर, अव्वर सचिव ।

